सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार संस्थाऐं,

....

विषयः– संस्था पंजीकरण हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है **Rajasthan Medical Education Society (Raj-MES)** के नाम से राजस्थान सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक है। कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

संलग्नः– संघ विधान–पत्र
तथा विधान (नियमावली)

भवदीय

(अध्यक्ष/मंत्री)

अध्यक्ष

मंत्री

Secretary
Rajasthan Medical Education Society

Treasurer
Rajasthan Medical Educat

संघ विधान–पत्र

1. संस्था का नामः– इस संस्था का नाम **Rajasthan Medical Education Society (Raj-MES)** समिति / सोसाईटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालयः– संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः– The Registered head office of the Society shall be at the **Directorate Medical Education, Chikitsa Shiksha Bhwan, Govind Marg, Janta Colony, Jaipur** Office of Director/ Additional Director Medical Education, Jaipur. The Society may open its operational office at Districts and any other location in the State of Rajasthan as per requirement. Presently in districts where 8 colleges are situated and attached hospitals are situated, likely to be extended]

   The area of operation for the Society shall be entire Rajasthan and any other place as may be decided by the Governing Board of the Society time to time.

3. संस्था के उद्देश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैः–

   1. To provide medical education of high quality and enhance prospect of medical research in State of Rajasthan.
   2. To establish, operate, maintain & manage recognized Medical, Dental, Para-Medical Colleges as well as educational courses in various fields including but not limited to Pharmacy, Nursing, Laboratory, Radio-diagnosis, Occupational Therapy, Dietician, Acupuncture/Acupressure Therapy, Yoga, Naturopathy, Management etc.
   3. Enhance employment potential of the youths of Rajasthan in medical/healthcare sector.
   4. To provide latest medical education training to professionals (technical and non – technical) working in healthcare sector in State of Rajasthan.
   5. To render facilities for conducting research activities relating to various medical specialties as per requirement.
   6. To put best endeavour to maintain and run Medical Colleges and providing best medical services & medical education field in State of Rajasthan.
   7. To organize and run services like clinical, diagnostic, therapeutic etc. for various specialties as per requirement.
   8. To create institutions to provide first-level as well as advanced referral medical care services.
   9. To synchronize with other medical speciality hospitals and medical teaching institutes situated in Rajasthan or elsewhere.

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Rajasthan Medical Education Society

10. To perform the other objectives associated with the objectives mentioned above and also to perform the any other objectives assigned in the related field by the State Government.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही हैं।

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैः–

Governing Board

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	पद	पूर्ण पता
1	Hon'ble Minister, Medical Education Shri Rajendra Singh Rathore	Chairmen	48, सिविल लाईन जयपुर
2	Principle Secretary, Medical Education, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) (Mrs. Veenu Gupta)	Vice-Chairmen	1/55, गांधी नगर, क्लब के पीछे, जयपुर
3	Secretary/joint/Special Secretary, Medical Education, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) (Dr. Prithvi Raj)	Member	1/6, सोम्या मार्ग, गांधी नगर, जयपुर
4	Director/Additional Director Medical Education (Admin) Medical Education Department, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) (Mrs. Pushpa Satyani)	Member Secretary	3/109, आर.ए.एस. क्वार्टर, गांधी नगर, जयपुर
5	Secretary (Expenditure), Finance, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) Shri SC Dinkar	Member	119, A5, C-स्कीम, खातीपुरा, जयपुर
6	Registrar, ~~Medical University~~ of Rajasthan, GoR, Jaipur. RUHS (Ex-Officio)	Member	D10/101, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर
7	Rekha Gupta, Registrar, Cooperative Society, GoR, Jaipur. (Ex-Officio)	Member	93/14 अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर
8	Additional Director Medical Education (Academic) (Ex-Officio) (Dr.SC Soni)	Tresuror	152, इन्द्रा कॉलोनी,बनीपार्क, जयपुर
9	Any one Principal Medical College (Ex-Officio)	Member	

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Rajasthan Medical Education Society

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अंतर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है:–

Executive Committee

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1	Principle Secretary, Medical Education, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) (Mrs. Veenu Gupta)	Chairmen Govt. Officer	1/55, गांधी नगर, क्लब के पीछे, जयपुर	
2	Secretary/joint Secretary, Medical Education, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) (Dr. Prithvi Raj)	Vice-Chairmen Govt. Officer	1/6, सोम्या मार्ग, गांधी नगर, जयपुर	[signature]
3	Director/Additional Director (Administration) Medical Education Medical Education Department, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) (Mrs. Pushpa Satyani)	Member Secretary Govt. Officer	3/109, आर.ए.एस. क्वार्टर, गांधी नगर, जयपुर	[signature]
4	Chief Account officer/Financial Advisor, Medical Education Department, Jaipur (Ex-Officio) Shri Achleshwar Meena	Member (Treasurer) Govt. Officer	A-799/800, सिद्धार्थ नगर, ए ब्लॉक, जयपुर	[signature]
5	Registrar, Rajasthan University of Health Science GoR, Jaipur. (Ex-Officio) Shri Jaswant Singh	Member Govt. Officer	D10/101, चित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर	[signature]
6	Additional Director (Academic) Medical Education Medical Education Department, GoR, Jaipur. (Ex-Officio) Dr. SC Soni	Member Govt. Officer	152, इन्द्रा कॉलोनी,बनीपार्क, जयपुर	
7	Any of the Dean/Principal Medical Colleges	Sp. Invitee		
8	Any of the concern Superintendent	Sp. Invitee		

596 Rajasthan Medical Education Society 10/10/16

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

(साक्षी)
1. हस्ताक्षर
डा. सुनील भटनागर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
C-85 सेठी कॉलोनी जयपुर
अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

(साक्षी)
2. हस्ताक्षर
गुलशन कुमार
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)
1 हिम्मत नगर, टोंक रोड जयपुर-18
कोषाध्यक्ष
Treasurer
... Education Society

नोट : शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1संस्था का नामः— इस संस्था का नाम **Rajasthan Medical Education Society (Raj-MES)** समिति/सोसाईटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2 पंजीकृत कार्यालयः— संस्था का पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्रः— The Registered head office of the Society shall be at the **Directorate Medical Education, Chikitsa Shiksha Bhwan, Govind Marg, Janta Colony, Jaipur** Office of Director/Additional Director Medical Education, Jaipur. The Society may open its operational office at Districts and any other location in the State of Rajasthan as per requirement. Presently in districts where 8 colleges are situated and attached hospitals are situated, likely to be extended]

The area of operation for the Society shall be entire Rajasthan and any other place as may be decided by the Governing Board of the Society time to time.

3संस्था के उद्देश्यः— इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:—

1 To provide medical education of high quality and enhance prospect of medical research in State of Rajasthan.
2 To establish, operate, maintain & manage recognized Medical, Dental, Para-Medical Colleges as well as educational courses in various fields including but not limited to Pharmacy, Nursing, Laboratory, Radio-diagnosis, Occupational Therapy, Dietician, Acupuncture/Acupressure Therapy, Yoga, Naturopathy, Management etc.
3 Enhance employment potential of the youths of Rajasthan in medical/healthcare sector.
4 To provide latest medical education training to professionals (technical and non - technical) working in healthcare sector in State of Rajasthan.
5 To render facilities for conducting research activities relating to various medical specialties as per requirement.
6 To put best endeavour to maintain and run Medical Colleges and providing best medical services & medical education field in State of Rajasthan.
7 To organize and run services like clinical, diagnostic, therapeutic etc. for various specialties as per requirement.
8 To create institutions to provide first-level as well as advanced referral medical care services.

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष

Treasurer
... Medical Education Society

9 To synchronize with other medical speciality hospitals and medical teaching institutes situated in Rajasthan or elsewhere.
10 To perform the other objectives associated with the objectives mentioned above and also to perform the any other objectives assigned in the related field by the State Government.

उपरोक्त उददेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही हैं।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।

1. **सदस्यता:–**

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1– संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों।
2– बालिग हो।
3– पागल दिवालिये न हो।
4– संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हो।
5– संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।

2. **सदस्यों का वर्गीकरण:–**

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:–

1– संरक्षक
2– विशिष्ठ
3– सम्मानीय
4– साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

3. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा**

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा:–

1– संरक्षक राशि........................वार्षिक/आजन्म
2– विशिष्ठ राशि........................वार्षिक/आजन्म
3– सम्मानीय राशि........................वार्षिक
4– साधारण राशि........................वार्षिक
उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू. ....
की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

4. सदस्यता से निष्कासन:–

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–

1– मृत्यु होने पर
2– त्याग–पत्र देने पर
3– संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4– प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Rajasthan Medical Education Society

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

5. साधारण सभाः–	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
6. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्यः–	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगेः– 1–प्रबंधकारिणी का चुनाव करना। 2–वार्षिक बजट पारित करना। 3– प्रबंधकारिणी द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना 4– संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।
7. साधारण सभा की बैठकेंः–	1–साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3– बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4– कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहुत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5– संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

Secretary
Rajasthan Medical Education Society

Treasurer

8. कार्यकारिणी का गठनः–	संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः– 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक 3. मंत्री–एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 5. सदस्य–चार (उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहे तो कम रख लें।) इस प्रकार प्रबंधकारिणी में......................चार (4)...................... पदाधिकारी व .... चार (4)......सदस्य कुल .... आठ (8)........ ......सदस्य होंगे।
9. कार्यकारिणी का निर्वाचनः–	1– संस्था की प्रबंधकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2– चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3– चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी।
10. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्यः–	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगेः– 1– सदस्य बनाना/निष्काषित करना। 2– वार्षिक बजट तैयार करना। 3– संस्था की संपत्ति की सुरक्षा करना। 4– वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5– साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6–कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7–अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।
11. कार्यकारिणी की बैठकेंः–	1–कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2– बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या के आधे से [illegible] होगा। 3– बैठक की सूचना प्रायः 1 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4– कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित

अध्यक्ष   मंत्री   कोषाध्यक्ष

Secretary
Rajasthan Medical Education Society

बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

12. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः–

संस्था की प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगेः–

1– अध्यक्षः

1–बैठकों की अध्यक्षता करना।
2–मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3–बैठकें आहूत करना।
4–संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5–संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2– उपाध्यक्षः

1–अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
2–प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3– मंत्रीः

1– बैठकें आहूत करना।
2– कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3– आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
4– वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5– संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना।
6– पत्र व्यवहार करना।
7– सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4–कोषाध्यक्षः

1– वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2– दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना।
3– चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4– अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

13. संस्था का कोषः–

संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः–

1– चन्दा

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष

2– शुल्क
3– अनुदान
4– सहायता
5–राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2– अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।

14. कोष संबंधी विशेषाधिकारः– संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1– अध्यक्ष 100 प्रतिशत उपलब्ध फण्ड अनुसार
2– मंत्री द्वारा राशि 10.00लाख रू.तक
3– कोषाध्यक्ष द्वारा राशि 1.00लाख रू.तक

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।

15. संस्था का अंकेक्षणः– संस्था के समस्त लेखों–जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे।

16. संस्था के विधान में परिवर्तनः– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

17. संस्था का विघटनः– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल संपत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. संस्था के लेखे जोखे निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष
Treasurer
… Medical Education Society

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) .... समिति / सोसाईटी / संस्थान की सही व सच्ची प्रति है।

596
Rajasthan Medical Education Society
10
10/10/16

जयपुर

सहायक रजिस्ट्रार संस्थाएं

की धारा ... के अधीन

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था विभाग में दाखिल किये गये दस्तावेज जो पृष्ठ सं. ... 1 ... से पृष्ठ सं. 11 ... तक है, की सत्यप्रति है।

1. नकल देने की दिनांक 2-11-16
2. नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर ....

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

अध्यक्ष

मंत्री

Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष

Treasurer
Rajasthan Medical Education Society

शपथ पत्र का प्रपत्र

मैं .... पुत्र .... आयु .... निवासी ....
.... (अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष) प्रस्तावित संस्था ....
.... का सशपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :–

1. हमारी प्रस्तावित संस्था .... के पंजीयन हेतु कुल ....आवेदक सदस्य है।
2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नही है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था / समिति के सदस्य / पदाधिकारी नही है।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु संख्या 2 व 3 के अंतर्गत अपने कार्यक्षेत्र मे निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अंतर्गत आते हैं, के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नही होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नही की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नही करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य का निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा जो रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरित कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि बिन्दु संख्या 1 से 8 के तथ्य मेरी जानकारी से सही है, कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरित कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी हैं।

अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष

नोट– [illegible] संस्था के [illegible] पदाधिकारियों [illegible] पृथक–पृथक [illegible] प्रारूप [illegible]
10/– रूपये के पृथक–पृथक स्टाम्प [illegible] पब्लिक से प्रमाणित [illegible] शपथ पत्र पर शपथ ग्रहणकर्ता की पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाकर प्रमाणित करवायी जावे।

अध्यक्ष

मंत्री
Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Rajasthan Medical Education Society

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।
2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:–

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्य प्रतिलिपि।
4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद पूर्व में संशोधन हेतु बलाई गई विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।
5. द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।
6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों मे से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।
7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र
हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।
8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों। नाम परिवर्तन से [illegible] सदस्यों के संयुक्त ह[illegible] से एक आवेदन [illegible] प्रस्तुत करें [illegible] ही मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

अध्यक्ष

Secretary
Rajasthan Medical Education Society

कोषाध्यक्ष
Treasurer
Rajasthan Medical Education Society

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 596 जयपुर/2016-17

यह प्रमाणित किया जाता है कि Rajasthan Medical Education Society Raj MES. जिला-जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 10 माह October सन् दो हजार Sixteen को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर

रजिस्ट्रार संस्थाएं
(आर. के. मीना)
रजिस्ट्रार संस्थाएं (जयपुर)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

क्रमांक फा/रजि/संस्थायें/ 9128 जयपुर, दिनांक 10.10.16

अध्यक्ष/मन्त्री,
Rajasthan Medical Education Society
....
....

विषय :-राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 596 /जयपुर 2016-17 दिनांक 10/10/16 संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था में मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।

2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

   इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

   यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के दण्ड की भागीदारी होगी।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती है, 50/- से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण-पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लेख करता या करवाता है तो वह सिद्धी पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 2000/- रुपये तक का हो सकता है तथा मिथ्या प्रविष्टि प्रमाणित होने पर ऐसे नियमों, विनियमों व पदाधिकारियों की सूची निरस्त करने का रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार होगा।

नोट :- इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रमार का पत्र-व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक अवश्य अंकित करें।

संलग्न : मूल प्रमाण-पत्र एवं विधान व
विधान व नामावली।

रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

Annex. -3

Proposed Governing Council shall consist of Chairman & Members as mentioned below :

S. No	Name of Member	Designation and Address	Designation
1.	(Ex-Officio)	Hon'ble Minister, Medical Education, GoR, Jaipur.	Chairmen
2.	(Ex-Officio)	Principal Secretary/ Secretary, Medical Education, GoR, Jaipupr	Vice-Chairmen
3.	(Ex-Officio)	Special/joint/Deputy Secretary, Medical Education, GoR, Jaipur.	Member
4.	(Ex-Officio)	Secretary (Expenditure), Finance, GoR, Jaipur.	Member
5.	(Ex-Officio)	Registrar, Rajasthan University of Health Sciences, GoR, Jaipur.	Member
6.	(Ex-Officio)	Registrar/Deputy Registrar, Cooperative Society, GoR, Jaipur.	Member
7.	(Ex-Officio)	Officer on special Duty , Medical Education	Member
8.	(Ex-Officio)	Additional Director Medical Education (Academic)	Member (Treasurer)
9.	(Ex-Officio)	Superintendent of concerned Medical College	Member
10.	(Ex-Officio)	Director/Additional Director Medical Education (Admin.) Medical Education Department, GoR, Jaipur.	Convenor
11.	(Ex-Officio)	Principal of concerned Medical College	Member Secretary

Annex. -3

Proposed Executive council shall consist of following members mentioned below:

S. No	Name of Member	Designation and Address	Designation
1.	(Ex-Officio)	Principal Secretary/ Secretary, Medical Education, GoR, Jaipupr	Chairman
2.	(Ex-Officio)	Special/joint/Deputy Secretary, Medical Education, GoR, Jaipur.	Vice-Chairman
3.	(Ex-Officio)	Collector of concerned District where Medical College is situated	Member
4.	(Ex-Officio)	Director/Additional Director (Administration), Medical Education Department, GoR, Jaipur.	Member
5.	(Ex-Officio)	Chief Account officer/Financial Advisor, Medical Education Department, Jaipur	Member (Treasurer)
6.	(Ex-Officio)	Superintendent of concerned Medical College	Member
7.	(Ex-Officio)	Treasury Officer of concerned District where Medical College is situated	Member
8.	(Ex-Officio)	Principal of concerned Medical College	Member Secretary